

FORM NO. III

फर्द अहकम



नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
~~मनीष मिता हीरावाल~~ बनाम ~~राष्ट्रिका सोनी पति कपिलराज सोनी~~

किस्म मुकदमा/धारा:- ~~प्रार्थना-पत्र~~ / 111 - 128

प्रकरण संख्या.....22...../2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर:-.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुकम की तामील में जारी हुए
5 / 02 2026	<p>प्रार्थना-पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 23 / 02 / 2026 को वास्ते इन्तजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा </p>	
23/2/2026	<p>पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-वार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए। पत्रावली से आदेश पारित किए गए। पत्रावली से आदेश मालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 22/2026

तारीख दायर 5/2/2026

मनीष पिता हीरालाल जी उम्र वयस्क जाति खटिक निवासी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

.....प्रार्थी

1. राधिका सोनी पति कपिल राज सोनी उम्र वयस्क जाति
सोनी निवासी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
2. प्रभुलाल पिता होक्म जी उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी
विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा०ले०रे० एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक :- 23/2/2026

प्रार्थनापत्र प्रार्थी ~~मनीष~~ ने जरिये अभिभाषक श्री सुनिल कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 132 पर स्थित आराजी संख्या 355/65 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि, स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 132 पर स्थित आराजी संख्या 355/65 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि, की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 22/2026

तारीख दायर - 5/2/2026
तारीख फैसला - 23/2/2026

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 22/2026

पत्थरगढी बाबत्।

मनीष पिता हीरालाल जी उम्र वयस्क जाति खटिक निवासी
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

1. राधिका सोनी पति कपिल राज सोनी उम्र वयस्क जाति सोनी निवासी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज0
2. प्रभुलाल पिता होक्म जी उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि भुमि ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 132 पर स्थित आराजी संख्या 355/65 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भुमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थी अंदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

प्रिंट दिनांक: 23-MAR-26

रुपयुक्त आधकार, न्यायपालिका, न्याय, न्याय, न्याय
 दैनिक वाद सूची दिनांक: 23-MAR-26

Monday

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	सैनुअल सं.	एक्ट	वाद का प्रकार	सुनवाई का प्रकार	पुराने मामले का नंबर	प्रार्थी का नाम	अप्रार्थी का नाम	प्रार्थी अभिभाषक	अप्रार्थी अभिभाषक
18	2026/55	33/2026	एलआर-111,128	प्रार्थना पत्र	नोटिस		लादू	रोडू लाल	जगदीश चंद्र धाकड़	
20	2026/7	1/2026	R.T.A.-183,188	दावा	नोटिस		चन्द्रवीर सिंह	सागरलाल	रामफूल धाकड़	
21.	45/2026		111-128	प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना-पत्र		बापू	बीसू		
22	44/2026		111-128	प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना-पत्र		कुलीवार्द व/स अरु-रवानी लक्ष्मणरामदास	कुलीवार्द व/स मोतीलार		
23	43/2026		111-128	प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना-पत्र		जाननी व/स जाधू			
24	14/2026		111-128	प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना-पत्र		जिजय सनादेय व/स जितेन्द्र मीठा			
25	40/2026		111-128	प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना-पत्र		केशवराय व/स रामराम			
26	19/2026		53-188	प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना-पत्र		पपू व/स गोविन्द			
27	46/2026		111-128	प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना-पत्र		धानाचिठरी व/स सुरेश			
28	222/2021		195	प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना-पत्र		पन्नालाल व/स मोहनलाल			
29	7/2026		183	प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना-पत्र		भूरा व/स लोचन			
30	2/2018		188-53-88	प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना-पत्र					